भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 29
दिनांक 02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों द्वारा अत्यधिक राशि वसूलना

29. **श्री कुलदीप राय शर्मा:**
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान निजी अस्पतालों द्वारा उपचार के दौरान मरीजों से अत्यधिक राशि वसूले जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निजी अस्पतालों के विरुद्ध रोगियों के उपचार के लिए अत्यधिक धनराशि वसूलने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देश के निजी अस्पतालों के विरुद्ध ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उक्त निजी अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने निजी अस्पतालों से इलाज कराते समय शोषण को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश भर के छोटे शहरों और कस्बों में चल रहे ऐसे अस्पतालों की व्यावसायिक कार्यकलापों की निगरानी के लिए उपाए किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अन्य क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (च): संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे निजी अस्पतालों द्वारा उपचार देते समय वसूले जा रही अत्यधिक राशि के मामलों का संज्ञान लें और ऐसी परिपाटियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्रवाई करें। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अग्रेषित कर दिया जाता है, जो

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार अस्पतालों को विनियमित करती हैं। तथापि, ऐसी शिकायतों के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

तथापि, भारत सरकार ने नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) अधिनियमित किया है और उसके अंतर्गत नैदानिक स्थापना (केन्द्रीय सरकार) नियम, 2012 अधिसूचित किए हैं ताकि सरकारी (सशस्त्र बलों को *छोड़कर*) तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों (अर्थात् एलोपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणाली या चिकित्सा की अन्य कोई प्रणाली जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो) से संबंधित निजी अस्पतालों के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान किया जा सके। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नैदानिक स्थापना अधिनियम को अपना लिया है, वे रोगियों को वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निजी अस्पतालों सहित अपने अस्पतालों को विनियमित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं। अधिनियम, 2010 के अनुसार, निजी अस्पतालों के लिए सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों, कार्मिकों की न्यूनतम आवश्यकता, अभिलेखों और रिपोर्टों का रखरखाव और अन्य शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है जिसमें केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी मानक उपचार दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और सुस्पष्ट स्थान पर उनके द्वारा प्रभारित दरों का प्रदर्शित करना शामिल है। इस अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकारी के माध्यम से इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने के संबंध में दंड लगाने सहित कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

केन्द्र सरकार ने पहले ही सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे वेबलिंक (http://clinicalestablishments.gov.in/WriteReadData/3181.pdf) पर प्रदर्शित रोगी के अधिकार और उत्तरदायित्व चार्टर (राष्ट्रीय नैदानिक स्थापना परिषद द्वारा यथाअनुमोदित) 'क्या और क्या न करें' को अपनाएँ, ताकि अस्पतालों में सुचारू और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करते हुए रोगियों की मौलिक शिकायतों और चिंताओं का समाधान किया जा सके। चार्टर के अनुसार, रोगी को दवाएं प्राप्त करने या परीक्षण कराने के लिए केंद्र चुनने का अधिकार है और अस्पतालों को रोगियों को अस्पताल की फार्मेसियों से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए और यदि वे कम कीमत/लागत पर बाहर से दवाएं प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो वह स्वीकार्य होना चाहिए।

नैदानिक स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण और उसे जारी रखने के लिए प्रत्येक अस्पताल को, अन्य बातों *के साथ-साथ,* निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है:

i) रोगियों के लाभ के लिए एक विशिष्ट स्थान पर स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा और उपलब्ध सुविधाओं के लिए ली जाने वाली दरों को प्रदर्शित करना।

ii) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी मानक उपचार दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। अब तक एलोपैथी में 227 चिकित्सीय स्थितियों, आयुर्वेद में 18 स्थितियों और सिद्ध में 100 स्थितियों के लिए मानक उपचार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

iii) राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और जारी दरों की सीमा के भीतर प्रत्येक प्रकार की प्रक्रिया और सेवा के लिए चार्ज की जाने वाली दरें। इसके लिए, चिकित्सा प्रक्रियाओं की एक मानक सूची और लागत के लिए मानक टेम्पलेट को अंतिम रूप दिया गया है और उन राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है जहां अधिनियम लागू है।

आदिनांक, 12 राज्यों *नामत:* अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना और 7 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली को छोड़कर) द्वारा सीई अधिनियम को अपनाया गया है। नैदानिक स्थापना अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है।

****